

प्रस्ताव सं०- 1404 02/2021

6

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है )

13. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें।

अनुपम गुप्त की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियां दी जानी चाहिए।)



हस्ताक्षर

Anupam Gupta नाम और पदनाम  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980 सरकारी मोहर  
U.P. Lucknow

दिनांक : 01/04/23  
स्थान :